राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6	तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पहला दिवस	संख्या: 1

मंगलवार,
15 फरवरी, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 13.01 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम् ।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी ।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।

अनुपस्थिति अनुमति
रामकिशोर सैनी, श्री, राज्य मंत्री, जेल एवं कारागार को
15 फरवरी से 21 फरवरी, 2011 तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रामकिशोर सैनी, राज्य मंत्री, जेल एवं कारागार ने पुत्र के विवाह होने के कारण दिनांक 15 फरवरी, 2011 से 21 फरवरी, 2011 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, सचिव।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति

श्री सचिव (विधान सभा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

1. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2010
2. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010
3. जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010
4. जोधपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010
5. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2010
6. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2010
7. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010

श्री अध्यक्ष: श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्रीजी व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक रखने पर ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यही व्यवस्था पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इसी पर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न रखने का फायदा क्या?

श्री अध्यक्ष: इनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके सम्मुख व्यवस्था का प्रश्न आ गया तो पहले व्यवस्था के प्रश्न का निस्तारण कीजिये।

व्यवस्था का प्रश्न

उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त अध्यादेश सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यादेश के सम्बन्ध में हमारे यहां एक प्रक्रिया तय है कि जब विधान सभा का सत्र नहीं होता, उस समय राज्यपाल महोदय ऐसी किसी बात से संतुष्ट हो जाये कि जिनको करना अत्यन्त आवश्यक हो तो वह अध्यादेश जारी कर देते हैं। उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाये

हुए हैं और प्रतिबन्ध यह है- 213 (3) आप पढ़िये –'यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो राज्य के विधान मण्डल में ऐसे अधिनियम में,जिसे राज्यपाल महोदय ने अनुमति दी है, अधिनियमित किये जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक अध्यादेश नहीं होगा। अध्यादेश यह लाये कि जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं आये। पहली बात तो यह विधिमान्य नहीं था। ऐसा कोई प्रस्ताव केबिनेट नहीं ला सकता, ऐसा प्रस्ताव कोई सरकार नहीं ला सकती। कल अशोक गहलोत साहब प्रस्ताव पास कर लेंगे कि पांच साल तक मेरी कैबिनेट के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आयेगा। आप पारित तो कर लोगे, राज्यपाल महोदय से आप जारी भी करा दोगे, लेकिन न्यायालय इसको रोक सकता है। जब अगर न्यायालय इसको रोक देता है तो उसकी स्थिति शून्य हो जाती है। आप आज इस बिल को इसलिये पेश कर रहे हैं कि विधान सभा का सत्र आहूत हो गया है और छह सप्ताह के अंदर आप इसको पारित कराना चाहते हैं। छह सप्ताह में आप पारित नहीं करायेंगे तो यह विधेयक नहीं रहेगा। लेकिन माननीय विधि मंत्री महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, माननीय मंत्रियों के मंत्री महोदय, आप इतने ज्ञानवान होकर इस विधेयक को पारित नहीं करा सकते, क्योंकि इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया, स्थगन आदेश दे दिया तो जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया और यह कहकर दे दिया कि यह अन-कांस्टीट्यूशनल है। जो रिट हुई है वह ऐसी हुई है तो जो मामला अन-कांस्टीट्यूशनल हो, जिसकी रिट हो गयी हो, अध्यक्ष महोदय, सुनिये, जिसको आप पारित नहीं कर सकते। पारित नहीं कर सकते तो उसको सदन के पटल पर कैसे रखेंगे, क्योंकि आज वह शून्य की स्थिति में है तो जो चीज शून्य है, शून्य की स्थिति को आप सदन में पारित नहीं करा सकते। तीन तरीके इसको रोकने के हैं।

श्री अध्यक्ष: रोकने का तरीका तो जब मैं आपसे पूछूं, तब बताना। पहले आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मुझे व्यवस्था देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे बात तो पूरी कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप तरीके बता रहे हो जब कहा है। रोकने की बात तो तब आयेगी जब मैं आपसे पूछूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था मुझे देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं तरीके इसलिये बता रहा हूं कि इसकी एक प्रक्रिया है और सरकार जब इसको लेकर आ रही है तो इसको प्रक्रिया से अवगत होना चाहिये। पहली बात तो यह है कि इसकी स्टेज आती है परिनियत संकल्प, जिसमें हमारी बात कह सकते हैं, लेकिन हमारी बात भी हम इसलिये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट से वह स्टे हो गया। हाई कोर्ट ने जिसको स्टे कर दिया और उस पर कार्य नहीं हो

रहा है, वह शून्य हो गया और शून्य की स्थिति का विधेयक, जो आर्डिनेंस आपने जारी कर दिया हो, फिर आप उसको पेश नहीं कर सकते। इसलिये मेरी आपत्ति यह है कि यह आज के दिन, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रस्ताव किये गये थे, जो विधि विरूद्ध थे, जो संविधान विरूद्ध थे और केवल राज्य की जनता के हित में नहीं थे। अपने लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाये, इसके लिये काला कानून बनाया गया था, इसलिये हाई कोर्ट ने इसको स्टे किया, इसलिये आज इसका विचारण पेश नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी चीज एड करनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, इनकी बात खत्म हो जाने दीजिये। इनकी बात सामने आ जाने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, साथ में उत्तर आ जायेगा। साथ में ही उत्तर आ जायेगा।

pcs/usc/15.02.2011/13.10/1o

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरा जबाव सुन लें, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद बोलने में और नहीं बोलने में तो आसन से परमिशन लेना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उप नेता कौन है? माननीय तिवाड़ीजी हैं या आप हैं, पहले यह झगड़ा तो निपटाओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन का यहां पर बिल लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर उस आर्डिनेंस में यह बिन्दु था जो तिवाड़ी साहब ने उठाया है और उस पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। इनकी जानकारी यहां तक ही है। उसके आगे इनकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो ये यहां पर यह सवाल नहीं उठाते। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उस बिन्दु को, जिस पर आपका ऑब्जेक्शन है और जिस पर हाई कार्ट ने स्टे दिया है, उसको बिल में से हटा दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बिल में से हटा दिया गया, कैसे हटा दिया आपने? बिल में से हटाने के लिए कौनसा ऑर्डिनेंस जारी किया?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके पल्ले नहीं पड़ रही है बात। आप जॉब भूल गये बिलकुल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पल्ले में लेने की मेरी आदत नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जो बिन्दु आपने उठाया है, आप जानकारी के अभाव में इस तरह की बात यहां पर उठा रहे हैं और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ओ हो। जय हो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आसन पैरों पर है। प्लीज मेहरबानी करें। जो प्रश्न इन्होंने उठाया है, उस पर मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं उसी प्रश्न पर कह रहा हूं जो मंत्रीजी ने बताया है।

व्यवस्था

अध्यादेश को सदन में प्रस्तुत किये जाते समय आपत्ति नहीं की जा सकती

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है यह पुस्तक। राजस्थान विधान सभा की है। इसमें पेज 651 पर 91 नम्बर की यह व्यवस्था है कि 'अध्यादेश को सदन की मेज पर रखने के समय उसकी वैधता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है' दिनांक 13 मार्च, 1989.

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि उसको निकाल दिया है। विलोपित करने का अधिकार नहीं है क्या इनको।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अध्यादेश

राजस्थान नगरपालिका(संशोधन) अध्यादेश, 2010

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका(संशोधन) अध्यादेश, 2010(वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 01) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी
(नियुक्ति के लिये चयन)(संशोधन) अध्यादेश, 2010

श्री अध्यक्ष: डा0 जितेन्द्र सिंह।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी(नियुक्ति के लिये चयन)(संशोधन) अध्यादेश, 2010(वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 02) सदन की मेज पर रखता हूं।

रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अध्यादेश, 2010

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना(अलवर) अध्यादेश, 2010(वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 03) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2011

श्री अध्यक्ष: मास्टर भँवर लाल मेघवाल।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था(संशोधन) अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्यांक 04) सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 04) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी(संशोधन) अध्यादेश, 2010

श्री अध्यक्ष: श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 05) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (वर्ष 2010 का अध्यादेश संख्यांक 06) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों हुए भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री बलिराम भगत, इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भाद्राजून तथा पूर्व उपाध्यक्ष श्री हीरासिंह चौहान, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद, पंजाब के पूर्व राज्यपाल एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे, केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री के. करणाकरण, पूर्व सांसद श्री औंकारलाल चौहान, श्री लालजी भाई मीणा, श्री केसर लाल व श्री श्रीकिशन मोदी तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री अब्दुल हादी, श्री मनफूल राम, श्री सूर्यप्रकाश, श्रीमती नारंगी देवी एवं श्री रामजीलाल तथा शबरीमाला मन्दिर के समीप मची भगदड़ से हुए हादसे में मारे गये लोगों के प्रति संवदेना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

'पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न'

भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी का जम्न 04 फरवरी, 1922 को कर्नाटक के गडग में हुआ। आपको बचपन से ही संगीत में रुचि थी। दस वर्ष की आयु में ही आपने संगीत की शिक्षा आरम्भ की। वर्ष 1946 में अपने गुरु सवाई गंधर्व के 60 वें जन्म दिवस पर पुणे में आयोजित समारोह में आपके गायन ने सर्वप्रथम आपको पहचान दिलाई।

पंडित भीमसेन जोशी ने शास्त्रीय संगीत सहित संगीत की विभिन्न विधाओं की बारीकियां सीखीं। श्री जोशी ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित करके किराना घराने को समृद्ध किया और दूसरे घरानों की विशिष्टताओं को भी अपने गायन में समाहित किया। पंडित जोशी ने कई रागों को मिलाकर कलाश्री और ललित भटियार जैसे नये रागों की रचना की। आपको ख्याल

गायन के साथ-साथ ठुमरी और भतन में भी महारत हासिल थी। पंडित भीमसेन जोशी को चलचित्रों में पार्श्व गायन तथा भक्ति संगीत के साथ-साथ देशभक्ति गायन के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय एकता के लिए तैयार किये गये लोकप्रिय वीडियो 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' में आपके गायन ने जनमानस में अमिट छाप छोड़ी।

पंडित भीमसेन जोशी के गायन में समूचा भारतीय संगीत एकीकृत रूप में गुंजायमान होता था। सशक्त गायन, संगीत की बारीकियों की समझ तथा भारतीय शास्त्रीय गायन में अमूल्य योगदान के लिए पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 1972 में पद्मश्री, 1985 में पद्मभूषण, 199 में पद्मविभूषण तथा वर्ष 2008 में भारत का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण तथा दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम एचीवमेन्ट पुरस्कार सहित अनेक अलंकरणों से विभूषित किया गया।

पंडित भीमसेन जोशी का दिनांक 24 जनवरी, 2011 को निधन हो गया।

बलिराम भगत, श्री, पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल

पूर्व लोक सभा अध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री बलिराम भगत का जन्म 01 अक्टूबर, 1922 को पटना सिटी के मेंहदीगंज में हुआ। आपने पटना कॉलेज से बी ए (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया।

श्री बलिराम भगत बाल्यकाल में ही स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ गये तथा 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1950 में आप अस्थयी संसद के सदस्य बने। श्री भगत पहली से पांचवी तथा सातवीं एवं आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय जीवनकाल में आपने जनवरी, 1976 से मार्च, 1977 तक लोक सभा अध्यक्ष के पद के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। श्री बलिराम भगत फरवरी से जून, 1993 से 30 अप्रेल, 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री भगत ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में प्रदेश की जनता की स्मृति में अपनी सरलता, सादगी, आदर्श व्यवहार तथा अनुकरणीय सदभाव की अमिट छाप छोड़ी।

श्री भगत ने अपने दीर्घ सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन काल में भारत सरकार में अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन बड़ी कुशलता से किया। श्री भगत केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री के संसदीय सचिव, केन्द्रीय वित्त उप मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री सहित विदेश व्यापार और आपूर्ति, इस्पात और भारी अभियांत्रिकी तथा विदेशी मामलों के केबिनेट मंत्री भी रहे। श्री भगत ने अपने दीर्घ संसदीय जीवन में अनेक देशों की यात्राएं कीं तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।

श्री भगत वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान दो भूमिगत साप्ताहिक पत्रिकाओं अवर स्ट्रगल तथा नान वायलेन्ट रिवोल्यूशन का सम्पादन किया। आपने पटना से प्रकाशित हिन्दी सप्ताहिक राष्ट्रदूत का प्रकाशन किया। आर्थिक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय

मामलों के जानकारी श्री भगत के आलेख राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित हुए।

श्री बलिराम भगत का 02 जनवरी, 2011 को निधन हो गया। री भगत के निधन से देश ने एक सच्चा देश प्रेमी, कुशल एवं अनुभवी प्रशासक तथा संसदीय मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति खो दिया।

गोपाल सिंह भाद्राजून, श्री, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष

राजस्थान विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह भाद्राजून का जन्म 27 सितम्बर, 1937 को जोधपुर में हुआ। आपकी आरम्भिक शिक्षा मेयो कॉलेज, अजमेर तथा सरदार हाई स्कूल, जोधपुर में हुई। आपने आगरा कॉलेज से कृषि विषय में एम एस सी की उपाधि प्राप्त की।

श्री गोपाल सिंह छठी तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा में आहोर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य रहे। आप छठी राजस्थान विधान सभा में जनता पार्टी तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा के कार्यकाल के दौरा 25 सितम्बर, 1979 से 07 जुलाई, 1980 तक विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अध्यक्ष के रूप में आपने सदन में सदा ही स्पष्ट और नीति सम्मत निर्णय देकर अपना विशेष योगदान दिया। आपने सदन में शालीनता और सदाशयता का परिचय देकर पूर्ववर्ती अध्यक्षों द्वारा स्थापित संसदीय परम्पराओं को आगे बढ़ाया। नौवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति तथा खाद्य एवं आपूर्ति, देवस्थान, दुग्ध विकास विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ में आप ग्राम पंचायत, भाद्राजून के तीन बार सरपंच, 13 वर्षो तक पंचायत समिति, आहोर के प्रधान तथा वर्ष 1986 से 89 तक सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक जालौर के चेयरमैंन रहे। शिक्षा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। श्री गोपाल सिंह अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप सामाजिक रूढ़ियों के प्रबल विरोधी रहे। वन्य जीव संरक्षण एवं कृषि विकास में विशेष रुचि रखने वाले श्री गोपाल सिंह ने अनेक देशों की यात्राएं कीं।

श्री गोपल सिंह भाद्राजून का 21 दिसम्बर, 2010 को निधन हो गया।

Msr/usc/1p/1320/15022011/

हीरासिंह चौहान, श्री, पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष

पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष श्री हीरासिंह चौहान का जन्म 1 जुलाई, 1940 को पाली जिले की रायपुर तहसील के कानूजा ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हीरासिंह चौहान आठवीं, नौवीं तथा ग्याहरवीं राजस्थान विधान सभा में रायपुर निर्वाचन क्ष्ज्ञेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। आप 25 मार्च, 1991 से 14 दिसम्बर, 1992 तक विधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। आप सदन की कार्यवाही में सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते थे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति 'क' तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति भी रहे।

आप वर्ष 1974 से 1977 तक कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण के अध्यक्ष, वर्ष 1981 से 1984 तक ग्राम पंचायत कानूजा के सरपंच तथा वर्ष 1995 से 1998 तक पंचायत समिति, रायपुर के प्रधान रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान शोध संस्थान, अजमेर के संरक्षक, भारतीय रावत राजपूत महासथा, जनकपुरी, नई दिल्ली के अध्यक्ष तथा महिला प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर, पाली के समन्वयक रहे। आपने 13 वर्षों तक अध्यापन किया तथा आपकी प्रकाशित कृतियों में 'राजस्थान रावत राजपूत महासथा का विधान' तथा 'भारतीय रावत महासथा ऐतिहासिक परिचायिका' प्रमुख हैं।

श्री हीरासिंह चौहान का दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

महावीर प्रसाद, श्री, पूर्व राज्यपाल, हरियाणा

हरियाणा के पूर्व राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद का जन्म 11 नवम्बर, 1939 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के उज्जरपाड़ ग्राम में हुआ। आपने एम.ए., बी.एड. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री महावीर प्रसाद सातवीं, आठवीं, नौवीं तथा चौदहवीं लोक सभा में सांसद रहे। आप फरवरी, 1985 से जुलाई, 1989 तक केन्द्रीय रेल उप मंत्री तथा जुलाई से दिसम्बर, 1989 तक केन्द्रीय इस्पात और खान राज्य मंत्री रहे। चौदहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालयों के केबिनेट मंत्री रहे। आप लोक सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य भी रहे। श्री महावीर प्रसाद 14 जून, 1995 से 19 जून, 2000 तक हरियाणा के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इस दौरान सितम्बर से नवम्बर, 1995 तथा अप्रैल, 1996 से जुलाई, 1997 तक आपके पास हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा।

राजनैतिक जीवन के प्रारम्भ से ही कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री महावीर प्रसाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव, उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष सहित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। दलितों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे श्री महावीर प्रसाद अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आपकी 'राष्ट्रीय चेतना एवं आत्मसाधना' पुस्तक भी प्रकाशित हुई।

श्री महावीर प्रसाद का दिनांक 28 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

सिद्धार्थ शंकर रे, श्री, पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं पूर्व मुख्य मंत्री पश्चिमी बंगाल

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री तथा पंजाब के पूर्व राज्यपाल श्री सिद्धार्थ शंकर रे का जन्म 20 अक्टूबर, 1920 को हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. तथा बार-एट-लॉ की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री सिद्धार्थ शंकर रे वर्ष 1957 से 1971, 1972 से 1977 तथा 1991 से 1992 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। इस दौरान आप मार्च, 1972 से मई, 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री रहे तथा आपने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री रे इससे पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार में विधि एवं जनजाति कल्याण मंत्री तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री सिद्धार्थ शंकर रे पांचवीं लोक सभा में पश्चिम बंगाल के रायगंज निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। कुशल प्रशासक श्री रे वर्ष 1971 से 1972 तक केन्द्रीय सरकार में शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालयों के मंत्री रहे। आप 4 जनवरी, 1986 से 12 मार्च, 1989 तक पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर आसीन रहे। आप वर्ष 1992 से 1996 तक अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे।

प्रख्यात विधिवक्ता श्री रे अपने लम्बे राजनैतिक जीवन में अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। खेलों में सुधार के लिए संकल्पित श्री रे कालीघाट क्लब, मोहन बागान क्लब, कलकत्ता क्लब और पश्चिम बंगाल खेल परिषद के सदस्य रहे।

श्री सिद्धार्थ शंकर रे का दिनांक 06 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

के. करुणाकरण, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री, केरल

केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री के. करुणाकरण का जन्म 5 जुलाई, 1918 को केरल के कण्णूर में हुआ। आपने राजाज हाई स्कूल एण्ड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, त्रिसूर (केरल) से शिक्षा ग्रहण की।

श्री के. करुणाकरण अपने पाँच दशक से भी अधिक के संसदीय कार्यकाल के दौरान वर्ष 1945 से 1947 तक कोचीन विधान सभा तथा 1948 से 1949 तक त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य रहे। आप वर्ष 1952 से 1954 तक दो बार कांग्रेस विधान मण्डल पार्टी, केरल के मुख्य सचेतक भी रहे। श्री करुणाकरण वर्ष 1965 से 1996 तक सात बार केरल विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए तथा चार बार केरल विधान सभा में विपक्ष के नेता रहे। आप वर्ष 1971 से 1977 तक केरल के गृह मंत्री रहे। श्री करुणाकरण मार्च से अप्रैल, 1977, वर्ष 1981 से 1982, 1982 से 1987 तथा 1991 से 1995 तक चार बार केरल के मुख्य मंत्री रहे। कुशल प्रशासक श्री करुणाकरण ने मुख्य मंत्री के रूप में केरल के विकास को नये आयाम दिये। आप तीन बार राज्य सभा तथा दो बार लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए। संसद के कार्यकाल के दौरान राज्य सभा तथा लोक सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वर्ष 1995 से 1996 तक उद्योग मंत्रालय के मंत्री भी रहे।

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री करुणाकरण ने अनेक मजदूर संघों का संचालन किया। 'लीडर' के नाम से विख्यात श्री करुणाकरण ने कांग्रेस दल के अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री के. करुणाकरण का दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 को निधन हो गया।

औंकार लाल चौहान, श्री, पूर्व मंत्री एवं सांसद

पूर्व मंत्री एवं सांसद श्री औंकार लाल चौहान का जन्म 7 फरवरी, 1924 को बारां जिले के छीपाबड़ौद में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री औंकार लाल चौहान पांचवीं तथा छठी राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। श्री चौहान पांचवीं विधान सभा में डग निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस तथा छठी विधान सभा में अटरू निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप सितम्बर, 1971 से अक्टूबर, 1973 तक राजस्थान सरकार में यातायात, सहकारिता, अकाल राहत, खाद्य, पंचायत, पुनर्वास, श्रम एवं नियोजन, जेल तथा समाज कल्याण विभागों के मंत्री रहे। आप दूसरी लोक सभा में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे।

श्री चौहान अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1956 में नगरपालिका, कोटा के सदस्य रहे। गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे श्रीचौहान समाज कल्याण मण्डल, कोटा के सदस्य तथा जिला दलित वर्ग संघ, कोटा के महामंत्री रहे। आप भारत सेवक समाज के सचिव भी रहे।

श्री औंकार लाल चौहान का दिनांक 10 अक्टूबर, 2010 को निधन हो गया।

लालजी भाई मीणा, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री लालजी भाई मीणा का जन्म 2 फरवरी, 1944 को उदयपुर जिले के पंचगोडा ग्राम में हुआ। आपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धरियावद से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री लालजी भाई मीणा पांचवीं तथा छठी लोक सभा में क्रमश: उदयपुर तथा सलुम्बर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति तथा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

जनसंघ एवं जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री मीणा जिला जनसंघ, उदयपुर के संयुक्त सचिव तथा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जनसंघ के प्रतिनिधि रहे। आप आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री लालजी भाई मीण का दिनांक 5 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया।

केसरलाल, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री केसरलाल का जन्म 16 जुलाई, 1929 में टोंक में हुआ।

श्री केसरलाल तीसरी लोक सभा में सवाई माधोपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के सांसद रहे। वर्ष 1951 में टोंक नगरपालिका बोर्ड के सदस्य रहे श्री केसरलाल वर्ष 1955 से 1957 तक म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहे।

अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले श्री केसरलाल की कविता लेखन में रुचि थी। आपकी 'बैरवा चितवाणी', 'कुप्रथा का भण्डाफोड़' तथा 'आजाद की पोल नेता बजाये ढोल' शीर्षक की पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री केसरलाल का दिनांक 14 जनवरी, 2011 को निधन हो गया।

श्रीकिशन मोदी, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री श्रीकिशन मोदी का जन्म 1924 को नीम-का-थाना में हुआ। आपने विशारद् तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री श्रीकिशन मोदी पांचवीं लोक सभा में सीकर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप कार्य सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

श्री मोदी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1962 में पंचायत समिति, नीम-का-थाना के उप प्रधान रहे। आप खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, नीम-का-थाना के सदस्य तथा ग्रामदान समिति, नीम-का-थाना के सचिव भी रहे। स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री मोदी समाज सेवा में सदैव आगे रहते थे। अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री मोदी श्री कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक रहे। आप माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे।

श्री श्रीकिशन मोदी का दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भाटी का जन्म 16 सितम्बर, 1944 को जोधपुर में हुआ। आपने बी.ए. (ऑनर्स) तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी सातवीं, आठवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में ओसियां निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप वर्ष 1981 से 1983 तक पुनर्वास, कारागृह, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजस्थान नहर परियोजना, उपनिवेशन विभागों के राज्य मंत्री रहे तथा वर्ष 1985 से 1986 तक राजस्थान सरकार में इंदिरा गांधी यनहर परियोजना, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के मंत्री रहे। आप जून, 1980 से जुलाई, 1981 तक स्वायत्त शासन विभाग के उप मंत्री भी रहे। पर्यटन मंत्री के रूप में आपने राज्य के पर्यटन को नई दिशा दी। ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विधान सभा की नियम समिति के सदस्य रहे।

श्री भाटी ने वर्ष 1968 में उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ की। मृदुभाषी एवं सरल व्यक्तित्व के धनी श्री भाटी को साहित्य एवं कला में विशेष रुचि थी। किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयासरत रहे श्री भाटी अनेक कृषि कार्यक्रमों से जुड़े रहे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी का दिनांक 28 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया।

Ars/usc/1q/1330/15022011

अब्दुल हादी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री अब्दुल हादी का जन्म 4 जनवरी, 1927 को बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के ग्राम बुरहान का तला में हुआ। आपने उर्दू, फारसी, अरबी तथा सिन्धी भाषा का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री अब्दुल हादी पहली, चौथी, पांचवीं, छठी, आठवीं, नौवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप पहली राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1953 में हुए उप चुनाव में सांचौर तथा चौथी, पांचवीं, छठी, आठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में बाड़मेर के चौहटन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। श्री हादी पहली, पांचवीं, छठी एवं ग्यारहवीं विधान सभा में कांग्रेस, चौथी विधान सभा में निर्दलीय, आठवीं विधान सभा में लोक दल तथा नौवीं विधान सभा में जनता दल के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, गृह समिति, प्राक्कलन समिति 'ख' तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे।

सरल व्यक्तित्व के धनी श्री हादी वर्ष 1959 से 1961 तक पंचायत समिति, चौहटन के प्रधान तथा वर्ष 1964 से 1972 तक सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। आप वर्ष 1962 में ग्राम पंचायत बुरहान का तला के सरपंच बने। आप इस पद पर 17 वर्षों तक रहे। साम्प्रदायिक सौहार्द्र के समर्थक श्री हादी राजस्थान वक्फ बोर्ड तथा जमियत उलमा हिन्द के सदस्य भी रहे। आप कमजोर तथा गरीब तबके के लोगों के उत्थान हेतु हमेशा प्रयासरत रहे। आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री अब्दुल हादी का दिनांक 6 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

मनफूलराम, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री मनफूलराम का जन्म गंगानगर में वर्ष 1937 में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मनफूलराम चौथी से आठवीं राजस्थान विधान सभा तक कांग्रेस के विधायक रहे। आप चौथी से सातवीं राजस्थान विधान सभा तक केसरीसिंहपुर तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में रायसिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति, याचिका समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1982 से 1985 तक राजस्थान नहर परियोजना, उपनिवेशन, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1961 से 1966 तक सरपंच रहे। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत रहे श्री मनफूलराम राजस्थान अनुसूचित जाति कल्याण मण्डल के सदस्य भी रहे।

श्री मनफूलराम का दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 को निधन हो गया।

सूर्य प्रकाश, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री सूर्य प्रकाश का जन्म 16 सितम्बर, 1947 को हुआ। आपने बी.ए. (द्वितीय वर्ष) तक शिक्षा ग्रहण की।

श्री सूर्य प्रकाश छठी राजस्थान विधान सभा में खैरवाड़ा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

श्री सूर्य प्रकाश वर्ष 1971 में विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर के सभापति तथा वर्ष 1975 से 1977 तक सहकारी समिति लिमिटेड कातरवास के मंत्री रहे। आपने आदिवासियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग दिया।

श्री सूर्य प्रकाश का दिनांक 9 नवम्बर, 2010 को निधन हो गया।

नारंगी देवी, श्रीमती, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्रीमती नारंगी देवी का जन्म 3 जून, 1927 को हुआ। आपने एम. ए., एम. एड. तथा एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्रीमती नारंगी देवी छठी राजस्थान विधान सभा में किशनगंज सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी की सदस्य रहीं। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहीं।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका, कोटा तथा जिला परिषद, कोटा की सदस्य रहीं। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रही श्रीमती नारंगी देवी छात्र जीवन से ही भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़ गईं। आपने मल्लापुरम आन्दोलन तथा आचार्य विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण के भूदान आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पेशे से शिक्षिका रही श्रीमती नारंगी देवी ने कोटा बालिका विद्यालय में अध्यापन किया तत्पश्चात् आप शिक्षा प्रसार अधिकारी तथा शेल्टर होम की अधीक्षिका भी रहीं। आपने आदिवासियों एवं गरीब तबके के लोगों तथा महिलाओं एवं बालकों में शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आपने शाहबाद किशनगंज वनवासी क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं में शिक्षा प्रसार का कार्य किया तथा दस वर्षों तक ग्राम सेवा विद्यापीठ की प्रधान अध्यापिका रही।

श्रीमती नारंगी देवी का दिनांक 17 दिसम्बर, 2010 को निधन हो गया।

रामजीलाल, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री रामजीलाल का जन्म 1922 में झुंझुनूं में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामजीलाल पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए खेतड़ी निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सक्रिय रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1955 से 56 तक ग्राम पंचायत, डुमोली खुर्द के सरपंच रहे। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य भी रहे।

श्री रामजीलाल का दिनांक 19 सितम्बर, 2010 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

दिनांक 14 जनवरी, 2011 को केरल के इदुक्की जिले में स्थित शबरीमाला मंदिर में मकर ज्योति के अवसर पर दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं में पुल्लुमेडु स्थान पर भगदड़ मच गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में करीब 102 लोगों की मौत हो गई तथा अनेक घायल हो गये। मैं, इस हादसे में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तत्पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17.02.2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.38 बजे गुरुवार, दिनांक 17.02.2011 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)